प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज- दिनांक- अगस्त 28, 2021

***यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग*-** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 99 वाहनों का चालान किया गया।

***शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 12 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 110 जी जा0फौ0 मे 10 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.बृजेश वर्मा उर्फ गुड्डू पुत्र शिवशंकर 2.रविन्द्र पटेल पुत्र रामानन्द 3. अंकित पाण्डेय पुत्र रत्नेश 4. खुबलाल विश्वकर्मा पुत्र चन्द्रमणि 5.नितिश पटेल उर्फ सचिन पुत्र चन्द्रेश नि0 गण भैसा 6.वसीउल्लाह पुत्र मुस्तफा 7. नियाज पुत्र सलीमा नि0गण जद्दू पिपरा 8.राजेन्द्र पुत्र कतवारु 9.कतवारु पुत्र भग्गू नि0गण बेईलिया थाना कोतवाली जनपद महराजगंज पर मु0अ0सं0-निल/21, धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रिका नि0 मंसूरगंज थाना पनियरा जनपद महराजगंज के कब्जे से 15 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-207/21, धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अजय भारती पुत्र सीताराम नि0 सोनपिपरी बुजुर्ग थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज के कब्जे से 35 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 150/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-03

विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 27/28-08-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 14 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।